

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2015

का.आ. 1577(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 15 फरवरी, 2007 की अधिसूचना सं. का. आ. 234 (अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने “आर्य अनाथालय, 1488, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली-110002” द्वारा ‘उत्कर्ष (5 से 13 वर्ष की आयु समूह के बीच के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास)’ की परियोजना या स्कीम को, वित्तीय वर्ष 2006-07 से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 1 पर अधिसूचित किया था; जिसे दिनांक 25.03.2009 की अधिसूचना सं. का.आ 855 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 को प्रारम्भ होने वाली तीन वर्षों को अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था और जिसे दिनांक 16.03.2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 469 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 को प्रारम्भ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के नौ वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है।

इसलिए, अब, केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, “आर्य अनाथालय, 1488 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली-

110002 द्वारा चलाई जा रही उत्कर्ष (5 से 13 वर्ष की आयु समूह के बीच के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास" की परियोजना को, 22.86 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना, वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के लिए अधिसूचित करती है।

[सं.148 /2015/फा. सं.वी -27015/1/2015 एस ओ(रा. स.)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)